न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 68 / 2024	2024 / 88	30—10—2024	26.12.2024

01. प्रवर्तन अधिकारी, अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री प्रिंस मक्कड पुत्र श्री जगदीश मक्कड, निवासी सी—29, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थितः— —विभागीय प्रतिनिधि

1. विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी

::— निर्णय ::—

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6 "ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी, अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 26.09. 2024 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार में विनोद जुनेजा, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरुपयोग की जांच हेतु श्री प्रिंस मक्कड पुत्र श्री जगदीश मक्कड, निवासी सी—29, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर की आशीष स्वीट्स, दाउदपुर, अलवर स्थित दुकान पर पहुंचे। मौके पर श्री प्रिंस मक्कड पुत्र श्री जगदीश मक्कड, निवासी सी—29, कर्मचारी कॉलोनी, अलवर उपस्थित मिले। श्री प्रिस मक्कड पुत्र श्री जगदीश मक्कड की दुकान पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री प्रिंस मक्कड पुत्र श्री जगदीश मक्कड द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री प्रिंस मक्कड के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया। मौके पर उक्त कब्जेराज 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को मै० प्रसन्ना गैस सर्विस, अलवर के प्रतिनिधि श्री विनोद शर्मा पुत्र श्री हरिनारायण शर्मा को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्ररस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 4 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया है कि उक्त जांच समिति जब जांच के दौरान मिन प्रार्थी के प्रतिष्ठान आशीष स्वीट्स दाउदपुर अलवर पर आई तो उन्हे घरेलु गैस सिलेण्डर मिले जिस पर उनके द्वारा यह माना गया कि उक्त घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यवसायिक कार्य में हो रहा है। जबकि वास्तविकता यह है कि मिन प्रार्थी के घर पर कोई नहीं रहता है। इसलिये घरेलु गैस सिलेण्डर को रिफील कराने हेतु दुकान पर लाया गया था। जिनकी पास बुक की प्रति संलग्न है। जो सिलेण्डर जप्त किये गये है वह जगदीश मक्कड पुत्र श्री किशन चन्द मक्कड एवंम् अमित कथूरिया पुत्र भगवान दास कथूरिया के नाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

से जारी है। जो कि एच.पी गैस कम्पनी के सिलेण्डर है। उन घरेलु गैस सिलैण्डर का कोई भी व्ययसायिक गतिविधियो में उपयोग नही हो रहा था। अतः जवाब नोटिस पेश कर निवेदन है कि मिन प्रार्थी को दिये गये नोटिस के भार से मुक्त फरमाने एवंम् जप्त किये गये सिलेण्डर मिन प्रार्थी को वापिस दिये जाने की कृपा करे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन निरीक्षक, अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर श्री प्रिस मक्कड पुत्र श्री जगदीश मक्कड की दुकान पर 4 घरेलू गैस सिलेण्डर अवैध रूप से संग्रहित मिले, जिसका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। श्री प्रिंस मक्कड द्वारा वक्त जांच घरेलू सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री प्रिंस मक्कड के द्वारा घरेलू सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग किया जाना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 व आरपीपीएल 1990 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, जप्तशुदा उक्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 04 घरेलू गैस सिलेण्डर सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)